भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 656**

<u>दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा

656. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चीन भारतीय कंपनियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण और प्रतिबंधक प्रथाओं को अपना रहा है ताकि उन्हें खरीद प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जा सके;
(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भारतीय कंपनियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या कृषि, डेयरी उत्पादों और भेषजों के लिए बड़े बाजार तक सुगम पहुंच को बनाए रखने की आवश्यकता है;
(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ङ) क्या सरकार ने चीन के साथ अत्यधिक व्यापार घाटे को रोकने के लिए निर्यात को बढावा देने और आयात में कमी करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या आयात और निर्यात के बीच के अंतर को भरने के लिए निर्यात प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : उद्योग के एक भाग ने मत व्यक्त किया है कि स्थानीय अनुभव की आवश्यकताओं जैसी कुछ शर्तें, चीन की खरीद प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सीमित कर रही हैं । भारत सरकार चीन के संबद्ध सरकारी निकायों से जुड रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय कंपनियों को अपने उत्पादों के लिए बाजार पहुंच प्राप्त हो । इस तरह के मुद्दों पर समय - समय पर द्विपक्षीय बैठकों में चर्चा की जाती है जिससे की बाजार पहुंच में ऐसे किसी प्रतिबंध का समाधान किया जा सके ।

(ग) जी हां ।

(घ) से (च) : भारत सरकार चीन को भारतीय निर्यातों के लिए व्यापार अवरोधों को कम करके व्यापार घाटे को पाटने के लिए निरंतर और सतत् प्रयास कर रही है । दिनांक 26 मार्च , 2018 को नई दिल्ली में आयोजित भारत - चीन आर्थिक संबंधों पर संयुक्त समूह (जेईजी) के 11 वें सत्र के दौरान दोनों देश अधिक संतुलित और अधिक स्थायी तरीके से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर सहमत हुए । चीन के बाजार में विभिन्न भारतीय कृषि

उत्पादों दुग्ध और औषधीय उत्पादों आदि की संभाव्यता के आलोक में बाजार पहुंच प्राप्त करने हेतु किए जा रहे सतत प्रयासों के भाग के रूप में अधिकारिक स्तर पर चीनी समकक्षों के साथ विभिन्न बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं । भारत से चीन को भारतीय चावल, रेपसीड मील, तंबाकू और फिशमील/फिशआयल चिलीमील का निर्यात सुगम करने के लिए अनेक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं । चीन की अद्यतन विनियामक प्रक्रियाओं के संबंध में भारतीय फार्मा निर्यातकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से दिनांक 21 जून, 2019 को संघाई, चीन में चीन के राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन, और भारत के केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यशाला आयोजित की गई थी ।

भारत सरकार ने चीनी, आयलमील्स, भारतीय चावल, अंगूर आदि के निर्यातों में वृद्धि करने के लिए चीन के संभाव्य आयातकों और भारतीय निर्यातकों के बीच क्रेता - विक्रेता बैठकों का सुगमीकरण करके निर्यातकों को सहायता प्रदान करने हेतु अनेक उपाय भी किए हैं । इसके अलावा, भारतीय उत्पादों का प्रदर्शन करने हेतु भारतीय निर्यातकों को चीन में आयोजित प्रमुख व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है ।

सरकार घरेलू उद्योगों को आयातों के साथ प्रभावपूर्ण प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करने हेतु अनेक स्कीमों/कार्यक्रमों को लागू कर रही है । घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ' मेक इन इंडिया ', डिजिटल इंडिया, साफ्टवेअर टेक्नालॉजी पार्क्स (एसटीपीएस), इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेअर टेक्नालोजी पार्क (ईएचटीपी) स्कीम/ निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) स्कीम, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्कीम (एसईजेड) आदि का देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करती हैं ।

विदेश व्यापार नीति 2015 -20 में भारत पण्य वस्तु निर्यात स्कीम, अग्रिम प्राधिकार स्कीम, पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन स्कीम, ब्याज समकरण स्कीम जैसे तंत्र हैं, जो अपने निर्यातों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु व्यवसायों के लिए सक्षम रूपरेखा प्रदान करते हैं । नीति और प्रक्रियात्मक परिवर्तनों के रूप में, सरकार द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप नियमित रूप से किया जाता है जिससे कि व्यवसाय गतिशील अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृष्य का सामना कर सके ।

*****